

1519/22

वकूलाग उपो वकील रेसो. ने एक शर्चना
फरपेश कर निवेदन किया कि उपरखण्ड
आधिकारी देहली द्वारा मूल काद सं. 22/10
दिनांक 15/3/16 को निर्णय के युक्त रेसो.
के शर्चना पत्र पर मनन किया गया। श्री
रूप से मूल काद मधीनस्थ न्यायालय में
निर्धारित किया जा चुका है। अतः विधि
के स्थिति अनुसार हस्तगत अपील प्रामाणिक
होने के कारण खारिज की जाती है। मधीनस्थ
न्यायालय का रेसो भेज दिया जावे। प्रामाणिक
केवल शुगर डक्टर नम्बर से कर डी।